न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

मिसल नं.
87/2022

तारीख दायर
07/06/2022

तारीख फैसला
20/06/2023

– उनवान –

1. कैलाश पुत्र रामसुख
2. घनश्याम पुत्र रामसुख
3. पूरण पुत्र रामसुख

समस्त जाति रैगर निवासी कोलीवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र बद्री
2. रामस्वरूप पुत्र बद्री
3. सोहनलाल पुत्र जैला
4. भगवान सहाय पुत्र भुवाना
5. रामकिशोर पुत्र चन्दालाल
6. रमेश पुत्र चन्दालाल
7. भूरी देवी पत्नि चन्द लाल

समस्त जातियान रैगर समस्त निवासीयान ग्राम कोलीवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर।

8. कैलाश पुत्र मूलचन्द
9. रामबाबू पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम कोलीवाडा तहसील आंधी जिला जयपुर राज0।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आंधी तहसील आंधी, जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री सत्यपाल गुर्जर — वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 20.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यपाल गुर्जर ने विरूद्ध अप्रार्थीगण एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत पेश किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। प्रकरण में उपस्थित वकील प्रार्थीगण की एक तरफा सुनवाई किया जाकर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है कि यदि विवादित भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 1.2700 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीवाडा पटवार हल्का फूटोलाव तहसील आंधी जिला जयपुर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक सीमाज्ञान आदेश अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/06/23

(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर